रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02082025-265178
SG-DL-E-02082025-265178

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2025/श्रावण 9, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 151
No. 221]	DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2025/SHRAVANA 9, 1947	[N. C. T. D. No. 151

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–एफएसएल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

फा.सं. 2(124)/एफएसएल/स्था0/भर्ती नियम/एसएसए(एचआरडी/क्यूसी)/2024/397.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59 –एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 20 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं0 फा0 31/64/2007/गृह–III विभाग/610–621 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

(i) इन नियमों को वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :–**उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :–**उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **षिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी)
2.	**पदों की संख्या**	:	02* (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय, समूह 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (रुपये 35400–112400/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	2 वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति,**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में 06 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (29200–92300/–रुपये) में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित 2–4 सप्ताह का परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टीपः–** इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी)के पद पर कार्यरत विद्यमान पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पूरा करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी। **टीप :–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति तथा स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. संबंधित वर्टिकल के निदेशक – **सदस्य** 4. विशेष/अपर सचिव (सा0प्रशा0वि0) – **सदस्य** **टीप** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार शर्मा, उप–सचिव (गृह)

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, 31st July, 2025

F. No. 2(124)/FSL/ESTT/RR/SSA(HRD/QC)/2024/397.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July,1959, and in supersession of this Govt's Notification no. F31/64/2007/Home-III Deptt./610-621 dated 20thAugust 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Senior Scientific Assistant (HRD/QC) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**–

   (i) These rules may be called the Senior Scientific Assistant (HRD/QC) Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2025.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix –** The number of the said post, its classification and pay level in pay matrixattached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc:-**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**:-No person,-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection or Non Selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other Qualification required for direct recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Senior Scientific Assistant (HRD/QC)	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial Group 'B'	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of Probation, if any**	**Method of Recruitment,**	**In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Not Applicable	2 years	100% by Promotion	**Promotion**: Junior Scientific Assistant (HRD/QC) in Level-5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix with 06 years of regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the Competent Authority. **Note**: For existing incumbents holding the post of Junior Scientific Assistant (HRD/QC) on regular basis on the date of notification of these rules, requirement of completion of training will not be applicable. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 02 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation):** 1. ACS/Principal Secretary/ Secretary (Home), GNCT of Delhi -**Chairperson** 2. ACS/Principal Secretary/ Secretary (Services), GNCT of Delhi - **Member** 3. Director of the concerned vertical - **Member** 4. Special/Addl. Secretary (GAD) – **Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation	Consultation with UPSC is not necessary.

				Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.02 11:26:52 +05'30'